न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-135RAAJodhpur2025-69RTA223 Dariya Khatu ors Vs Sameena Khatun etc

01. *दरिया खातू पत्नी मोलाबक्स,*
02. *नूरखातु पत्नी मीरमोहम्मद*
03. *मरिमा खातुन पत्नी शेर मोहम्मद*
04. *हनु खातुन पत्नी मोहम्मद हनीफ*

जातियान मुसलमान निवासीगण - ग्राम जैतड़ासर, तहसील बाप जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. *समीना खातुन पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी-ग्राम जेतड़ासर, तहसील बाप जिला फलोदी*

रेस्पो.....

2. *उमरदीन पुत्र नूरदीन*
3. *कमला खातुन पत्नी सिकन्दर*
4. *गुलाब रसूल पुत्र मेहमूद खॉ*
5. *जुलफत खातुन पत्नी सईदुल्ला*
6. *नजीरा खातुन पत्नी रहीमबक्स*
7. *खतु खातुन पत्नी मोहम्मद हसन*
8. *फकरदीन पुत्र महमूद खॉ*
9. *मेहर खातु पत्नी कासम खॉ*
10. *रईसा खातु पत्नी अब्दुल गफूर*
11. *रहमतुल्ला पुत्र महमूद खॉ*
12. *रईसदीन पुत्र महमूद खॉ*
13. *सईदा खातुन पत्नी शोकत अली*
14. *शकूर मोहम्मद पुत्र नूर दीन*
15. *सुफिया खातुन पत्नी इलमदीन*
16. *नजीरा खातु पत्नी कादर खॉ*
17. *अरबा खातुन पत्नी अल्लाबक्स*
18. *अल्लारखी पत्नी अमीरदीन*

जातियान मुसलमान निवासीगण ग्राम जेतड़ासर, तहसील बाप जिला फलोदी।

19. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।*

परफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2025 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 94/2024 समीना खातुन बनाम उमरदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो से सत्रह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या उन्नीस

नि र्ण य

दिनांक : 15 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 94/2024 अनवान समीना खातुन बनाम उमरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 मार्च 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 159 रकबा 40.6466 हैक्टेयर ग्राम गाड़ना तहसील बाप के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2025 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गाड़ना के खसरा नं0 159 रकबा

40.6466 हैक्टर अपीलांट्स की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त तहसीलदार बाप द्वारा अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस जारी नही किये एवं उनकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थीगण के कब्जा व काश्त की भूमि प्रत्यर्थी संख्या एक को दे दी गई, जहां पर अपीलार्थीगण का घर बना हुआ है अर्थात् विभाजन प्रस्ताव कब्जे एवं काश्त के विपरीत तैयार कर विचाण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है एवं उस विभाजन प्रस्ताव को उसी दिन स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में प्राथमिक डिक्री के अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था। हस्तगत मामले में उक्त नियमों की पालना में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा कब्जे एवं काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। धारा 53 के वाद में प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से तक आने जाने के लिए रास्ता देना भी आवश्यक है। हस्तगत मामले में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एक तरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा रास्ते का भी प्रावधान नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति में विधि-विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह तहसीलदार बाप से उभय पक्ष की उपस्थिति

में नियम 18 से 21 की पालना में कब्जे एवं काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तलब करे तथा उस उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय व अन्तिम डिकी जारी करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए विधिुनसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर पुनः निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार न कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 94/2024 अनवान समीना खातुन बनाम उमरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार बाप से विभाजन

प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर